माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 18 अप्रैल, 2020 को सायं 3.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक मेंविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री सत्य गोपाल, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली .... सदस्य।
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................सदस्य।
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडा : भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020 - *In Re: Contagion of COVID-19* दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020 के आदेश में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

समिति के माननीय अध्यक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के आदेश में वर्णित निर्देशों को लागू करने के लिए पूर्व की बैठकों के दौरान उठाए गए कदमों/उपायों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रतिभागियों को उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उसके बाद के दिनांक 13.04.2020 के आदेश के विषय में अवगत करवाया।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी राय व्यक्त की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2020 द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुरूप समिति द्वारा आगे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

आइटम नंबर 1:— कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान और उपचार के संबंध में पहले अपनाए गए प्रस्तावों की जांच

श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को जेल प्रशासन के द्वारा अपनाए गए उपायों जैसे **एकांत वार्ड** बनाए जाने, **कोविड—19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के लिए जेल में **नए प्रवेशकों के प्रारंभिक परीक्षण** के साथ —2 नए कैदियों को अलग करने के उपायों के सफलतापूर्वक पालन करने के विषय में सूचित किया।

उन्होने आगे बताया पिछली बैठक में लिए गए निर्णयो के अनुसार 21 साल से ऊपर के नए पुरूष कैदियों को तिहाड़ के जेल नंबर 2 और मंडोली में जेल नंबर 13 में अलग से बनाए वार्ड में रखा गया है।उन्होने अध्यक्ष को आगे बतायानए महिला कैदियों के लिए जेल नबंर 6 में और 18 से 21 साल के बीच के पुरूष कैदियों के लिए तिहाड़ के जेल नंबर 5 में अलग से **अलगाव वार्ड** बनाया गया हैं। जिससे कि नए कैदी जेल में आने के तुरंत बाद अंदर के कैदियों से **घुल मिल न सकें।**

महानिदेशक (जेल) ने आगे अध्यक्ष को सूचित कियाकि जेल स्टॉफ, कैदी, जेल में काम करने वाले कर्मचारी आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं जिससे कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोका जा सके। उन्होने अध्यक्ष को अवगत कराया कि **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन किया जा रहा है।उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ किया जा रहा है और कीटाणुनाशक का प्रयोग करके अच्छी प्रकार से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जेल के अंदर बनने वाले साबुन, लिक्विड सोप, फिनाइल, मास्क और सैनिटाइजर सभी जेलों में रखने के अतिरिक्त जेजेबी और ऑर्ब्जवेशन होम से प्राप्त मांग के अनुसार इन सभी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में वहां भेजा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस) के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMRस्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम नंबर 2:–उच्चाधिकार समिति के द्वारा पिछली बैठक में अपनाए गए मानदंडों के अनुसार कुछ कैदियों को रिहा करने के पश्चात कैदियों का एक जेल से दूसरी जेल में प्रवास और स्थानांतरण पर विचार

अध्यक्ष के पूछने परमहानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 28.03.2020 और 07.04.2020 में लिए गए निर्णयों के अनुसार अपनाए गए मानदंडों के आधार पर लगभग 2700 कैदी अंतरिम जमानत/पैरोल पर पहले ही छोड़ दिए गए हैं।

रिहा किए गए कैदियों को दृष्टि में रखकर कितने कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में प्रवास/स्थानांतरण की आवश्यकता है अध्यक्ष के ऐसा पूछने पर महानिदेशक (जेल) ने सभी जेलों तिहाड़, मंडोली और रोहिणी की कैदियों की रखने की क्षमता और वास्तविक कब्जे (Actual occupancy) का विवरण प्रस्तुत किया

*दिल्ली की सभी जेल *	
कुल क्षमता (16 जेल)	10,026
दिनांक 25.03.2020 तक जनसंख्या	17,552
दिनांक 18.04.2020 तक जनसंख्या	14,799

*तिहाड़ जेल परिसर *	
9 जेलों में रखने की क्षमता	5,200
दिनांक 25.03.2020 तक वास्तविक रहने वालो की संख्या (Actual occupancy)	11,981
दिनांक 18.04.2020 तक जेल में रहने वालो की वास्तविक संख्या (Actual occupancy)	10,115

मंडोली जेल परिसर	
6 जेलों में रखने की क्षमता	3,776
दिनांक 25.03.2020 तक जेल में रहने वालो की वास्तविक संख्या (Actual occupancy)	3,747
दिनांक 18.04.2020 तक जेल में रहने वालो की वास्तविक संख्या (Actual occupancy)	3,144

*रोहिणी जेल परिसर *	
जेलों में रखने की क्षमता	1,050
दिनांक 25.03.2020 तक जेल में रहने वालो की वास्तविक संख्या (Actual occupancy)	1,824
दिनांक 18.04.2020 तक जेल में रहने वालो की वास्तविक संख्या (Actual occupancy)	1,540

कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति ने तिहाड़ की 9 जेलों, रोहिणी और मंडोली की 6 जेलों में रहने वाले कैदियों की वास्तविक संख्या पर विचार किया कि विचाराधीन कैदी कोर्ट में पेश नही किया जा रहा है और उनका रिमांड डयूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने आप बढ़ाया जा रहा है। यह उचित होगा कि कुछ कैदियों को रोहिणी और तिहाड़ जेल से स्थानातंरित करके मंडोली जेल भेज दिया जाए।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को बताया कि कुछ कैदी रोहिणी और तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में स्थानांतरित किए जा सकतें हैं क्योंकि आज तक मंडोली जेल में रहने वाले कैदियों की संख्या उसकी रजिस्टर्ड क्षमता से कम है।

अध्यक्ष के द्वारा जेलों के क्षेत्र और रूपरेखा के विषय में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने समिति को अवगत कराया कि तिहाड़ जेल का कुल क्षेत्र इसकीरूपरेखा विशेष रूप से **गलियारे और खुला स्थान** जो व्यक्तिगत सेल और बैरकों के सामने है। इसमें इसकी रजिस्टर्ड क्षमता से अधिक कैदी समायोजित हो सकतें हैं। जबकि, रोहिणी जेल परिसर में अपनी वास्तविक धारण क्षमता से अधिक कैदियों को समायोजित करने के लिए इतनी खुली जगह नही है।

रोहिणी जेल, तिहाड़ न्यायालय परिसर और मंडोली न्यायालय परिसर के जेलों की आबादी के साथ–साथ उनके संबंधित क्षेत्रों और रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने सर्वसम्मति से **निर्णय** लिया कि रोहिणी जेल से **200** कैदी और तिहाड़ जेल से **50** कैदी मंडोली जेल में स्थानांतरित किए जाएंगे जो कि रोहिणी और तिहाड़ जेल की भीड़ को कम करेंगे।ऐसा करने से जेल प्रशासन तीनो जेल परिसरों में कैदियों के बीच **सामाजिक दूरी** का पालन करने की स्थिति में होगा।

समिति ने महानिदेशक (जेल) द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर यह **निर्णय** लिया कि रोहिणी जेल से **200** कैदी और तिहाड़ जेल से **50** कैदी अस्थायी रूप से मंडोली जेल में स्थानांतरित किए जाएंगे जब तक कि देश में विद्यमान स्थितियां बनी रहती हैं जिससे कि जेल प्रशासन कैदियों के बीच **सामाजिक दूरी** का पालन करने में सक्षम हो सके।

आगे यह निर्णय लिया गया कि इन 250 कैदियों को भेजने में **सामाजिक दूरी के सभी नियमों और मानदंडों** का पूर्णतः पालन किया जाएगा। कैदियों को भेजते समय जेल प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि बस की क्षमता से **आधे या एक चौथाई** लोगों से ज्यादा को न ले जाया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि कैदियों में इस पारगमन के समय एक दूसरे से उचित दूरी का पालन किया गया।

आइटम नंबर 3:– जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गएमानदंडों के प्रभाव का जायजा

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच के द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020 और 07.04.2020 को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। जिसे समिति के द्वारा अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है –

<u>आइटम नंबर 3 (ए) दोषियों के पैरोल के संबंध में</u>

(ए) दोषियों के पैरोल के संबंध में	
जारी किए गए आदेशों की कुल संख्या	1,109
छोड़े गए अपराधी	953
नोटः हालांकि 1109 दोषियों की रिहाई के संबंध में आपातकालीन पैरोल के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन उनमें से कुछ छोड़े नही गए हैं क्योंकि उनमें से कुछ अनइच्छुक हैं और कुछ पंजाब, बिहार वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों के निवासी हैं।	

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि पहले से ही जारी आदेशों के अतिरिक्त वह आगे भी **आपातकालीन पैरोल** की प्रक्रिया को शुरू करेंगे यदि जेल में बंद कोई अन्य कैदी पैरोल के लिए पात्र हो जातें है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) ने आश्वासन दिया कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे जब भी महानिदेशक (जेल) से पात्र दोषियों को **आपातकालीन पैरोल** प्रदान करने के लिए कोई सिफारिश प्राप्त होगी।

तदानुसार **हल** किया जाता है।

<u>आइटम नंबर 3 (बी) विचाराधीन कैदियों की अंतरिम/नियमित जमानत के संबंध में</u>

(बी)विचाराधीन कैदियों की अंतरिम/नियमित जमानत के संबंध में	
मानदंड के अनुसार आवेदन की संख्या	2503
दिनांक 06.04.2020 तक जमानत प्रदान करने के आदेश	1877
विचाराधीन कैदी जो पहले ही छूट चुके हैं।	1777
नोटः हालांकि, अंतरिम जमानत आदेश 1877 विचाराधीन कैदियों के संबंध में जारी किए गए हैं लेकिन उनमें से कुछ स्थायी पता न होने के कारण नही छोड़े जा सके, वे आवारा हैं और कुछ विचाराधीन कैदी अनिच्छुक हैं।	

कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने समिति को सूचित किया पैनल अधिवक्ता दैनिक आधार पर जेल परिसर का दौरा करतें है और उन्होने समिति के द्वारा अंतरिम जमानत के लिए अपनाए गए मानदंडों को अपनाते हुए जमानत के प्रार्थना पत्र ड्राफ्ट और दायर करतें हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि पैनल अधिवक्ताओं को, संबंधित डयूटी मजिस्ट्रेट और/ अथवा न्यायालय में डयूटी पर उपस्थित सत्र न्यायाधीश के समक्ष, लंबित आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही अपेक्षित निर्देश दिए जा चुकें हैं। जेल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जिससे पता चलता है कि सभी विचाराधीन कैदी जिनके संबंध में जमानत के आदेश पारित किए गए हैं विभिन्न कारणों से नही छोड़े जा सके हैं।

माननीय अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि जेल प्रशासन/जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाए कि वे न्यायालय से जमानत के आदेश प्राप्त होते ही तुरंत विचाराधीन कैदी को

छोड़ना सुनिश्चित करें और मीटिंग दिनांक 28.03.2020 और 07.04.2020 में लिए गए निर्णयों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के साथ–2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.04.2020 को दिए गए निर्देश अनुसार जेल से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित करें।

<u>आइटम नंबर 3 (सी) :– सजा की छूट</u>

(सी) सजा की छूट	
पिछली बैठक दिनांक 28.03.2020 और 07.04.2020 में अपनाए गए प्रस्ताव के अंतर्गत सजा में छूट प्राप्त करने वाले दोषियों की संख्या	25

दिनांक 28.03.2020 में अपनाए गए निर्णयों के आधार पर प्रधान सचिव (गृह) ने समिति को अवगत करवाया कि दिनांक 07.04.2020 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सजा मे छूट देने का आवश्यक आदेश पारित किया है। जिसके विषय में महानिदेशक (जेल) को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए बताया जा चुका है। महानिदेशक (जेल) ने समिति को अवगत करवाया कि उन्होने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा पारित सजा में छूट प्रदान करने के आदेश प्राप्त होने पर 25 दोषियों को पहले ही रिहा कर चुके है जबकि दिनांक 28.03.2020 को समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा पारित सजा में छूट प्रदान करने के आदेश के आधार पर अन्य 36 कैदियों को दिनांक 30.06.2020 तक रिहा कर दिया जाएगा।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 28.3.2020 को लिए गए निर्णय और उसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा पास आदेश के अनुसार वहां 11 दोषी ऐसे हैं जो कि सजा में छूट प्रदान करने के पश्चात रिहा होने के योग्य हैं परंतु उन्हें जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण रिहा नही किया जा सका।

इस तथ्य के प्रति सचेत होते हुए कि कोविड–19 ने देश को झुलसा दिया है और केन्द्र सरकार को 40 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के लिए बाध्य किया है। इस कारण ये दोषी या उनके पारिवारिक सदस्य मुख्य सजा के साथ उस पर लगाई जुर्माने की राशि देने में अक्षम हो गए हैं।

तदानुसार महानिदेशक (जेल) के सुझाव से यह **निर्णय** हुआ था कि ये **11 दोषी** जिन्होने अपनी **मुख्य सजा** पूरी कर ली है (जिसमें प्रदान की गई नियमित और विशेष छूट सम्मिलित है) जेल अधीक्षक की संतुष्टि के पश्चात एक दायित्व पत्र देंगे कि वे **लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिनों** के भीतर जुर्माना जमा करेंगे तत्पश्चात ही उन्हें रिहा कर सकेंगे जुर्माना भरने में असफल रहने पर वे शेष सजा के लिए आत्मसमर्पण करेंगे।(जुर्माना न भर पाने के कारण सुनाई गई सजा)

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा पारित पूर्ववर्ती जमानत आदेश में संशोधन के आधार पर विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया

कवंलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 07.04.2020 को समिति के निर्देशानुसार उन्हाने दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय

रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखा था। उन्होने समिति को अवगत कराया कि दिनांक 07.04.2020 के उस पत्र के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **Writ Petition (Criminal) 779/2020** in **"Court on its own Motion Vs. State"** मामले मेंसंज्ञान लिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.04.2020 के आदेश में दिनांक 07.04.2020 के और उससे पूर्व के उन सभी विचाराधीन कैदियों के सभी जमानत आदेशों में संशोधन कर दिया है जो श्योरिटी बांड जमा न करवा पाने के कारणउनके जमानत आदेश का लाभ नही उठा पा रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उचित भाग इस प्रकार हैः

> *"इस प्रकार, दिनांक 7 अप्रैल, 2020 के अथवा उससे पहले के इस कोर्ट अथवा अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा पास सभी जमानत आदेशों, जिसमें विचाराधीन कैदियों की जमानत इसलिए नही हो पाई क्योंकि वे श्योरटी बांड पेश करने की शर्त को पूरा करने में असफल रहें, में संशोधन किया जाता है कि उसे पढ़ा जाएगा जमानत बिना श्योरटी बांड पेश करने की शर्तपर दी जाएगी इसके स्थान पर ऐसे विचाराधीन कैदियों को जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाएगा।"*

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 09.04.2020 के इन आदेशों के आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की सहायता से विचाराधीन कैदियों के हित में पहले पास किए गए जमानत आदेशों का पता लगाया था। इसके अनुसार जो विचाराधीन कैदी रिहा किए गए वे इस प्रकार हैं :–

कैदियों द्वारा दावा किए गए जमानत आदेश	811
कोर्ट के रिकार्ड से पता लगाए गए जमानत आदेश	317
व्यक्तिगत बांड पर रिहा कैदी	207
नोटः अन्य विचाराधीन कैदी नियमित जमानत आदेश उनके हक में होने के पश्चात भी रिहा नही किए जा सके क्योंकि वे अन्य केस में मुकदमें का सामना कर रहें हैं इसके साथ ही उसमें उन्हें जमानत प्रदान नही की गई है।	

अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएलएसए के द्वारा पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए **प्रयासों की सराहना** की जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली की जेलों में भीड़ कम हुई जिसके परिणामस्वरूप निम्नाकिंत संख्या में विचाराधीन कैदी / अंतरिम जमानत पर रिहा दोषी / पैरोल और छूट प्रदान करने पर रिहा हुए।

दिनांक 18.04.2020 तक अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदी	1777
माननीय उच्च न्यायालय के W.P.(Criminal) No.779 /2020 में दिए गए जमानत आदेश में संशोधन के आधार रिहा विचाराधीन कैदी	**207**
दिनांक 18.04.2020 तक आपातकालीन पैरोल पर छोड़े गए दोषी	953
सजा में प्राप्त छूट के आधार पर रिहा दोषी	25
दिनांक 18.04.2020 तक अंतरिम जमानत पर / पैरोल / सजा में छूट से रिहा हुए कुल विचाराधीन कैदी / दोषी	2962

आइटम नंबर 4: अंतरिम जमानत के मद्देनजर जो कैदी छोड़े जा सकतें हैं उनके लिए एक नए वर्ग का निर्धारण

समिति के सदस्यों ने इस बात का ध्यान रखा है कि पहले अपनाए गए मानदंडों के आधार पर आज तक लगभग **2700** कैदियों / दोषियों / विचाराधीन कैदियों को **पैरोल / अंतरिम जमानत** पर रिहा किया गया है।

समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय केद्वारा उसके बाद के दिनांक 13.04.2020 में दी गई टिप्पणियों के साथ–2 ICMR के द्वारा जारी सलाह, कि वह व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और जिसकी **रोग प्रतिरोधक क्षमता** भी कम है, तो उसका **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** से संक्रमित होने का खतरा अधिक है, को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि मानदंडों को उन कैदियों / विचाराधीन कैदियों के लिए **अधिक लचीला** बनाने की आवश्यकता है जो कि **एचआईवी, कैंसर, किडनी की बीमारी(विचाराधीन कैदी को डायलसिस की आवश्यकता) हैपिटाइटस बी अथवा सी, अस्थमा और टीबी** की बीमारी से पीड़ित हैं। माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर महानिदेशक (जेल) ने **प्रभावी विश्लेषण** के रूप में उपरोक्त बीमारी से पीड़ित विचाराधीन कैदियों के लिए लचीले मानदंड को प्रस्तावित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था इसके अनुसार यह प्रस्तुत हैं:

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श किया विचाराधीन कैदियों की उपरोक्त बीमारी से पीड़ित होने की जो सूचना प्रदान की गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिसमें आज हम हैं, निम्नलिखित वर्गों के कैदियों को अब **45 दिनों** की अंतरिम जमानत मुख्यतः **व्यक्तिगत बांड** पर प्रदान के लिए विचार करने का निर्णय लिया:

(i) *वे विचाराधीन कैदी जो उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित हैं और **तीन महीने या अधिक** से हिरासत में हैं और एक केस में मुकदमे का सामना कर*

*रहें हैं जिसकी निर्धारित सजा **सात साल** या उससे कम है;*

(ii) *वे विचाराधीन कैदी जो उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित हैं और **छः महीने या अधिक** से हिरासत में हैं और एक केस में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसकी निर्धारित सजा **दस साल** या उससे कम है;*

(iii) *वे विचाराधीन कैदी जो उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित हैं और **छः महीने या अधिक** से हिरासत में हैं और एक केस में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसकी निर्धारित सजा दस साल से आजीवन कैद तक है और वह बहुत से अपराधों में शामिल नही है;*

आगे यह भी **निर्णय** लिया गया कि विचाराधीन कैदियों की निम्नलिखित श्रेणी यदि उपरोक्त मानदंडों के अंतर्गत आते भी हैं तो उन पर **विचार नही** किया जाएगा।

1. *वे विचाराधीन कैदी जिनका एनडीपीएस अधिनियम के तहत मध्यस्थ/बड़ी मात्रा में वसूली के लिए परीक्षण चल रहा है।*
2. *वे विचाराधीन कैदी जो पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
3. *वे विचाराधीन कैदी जो धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी और 376 ई और एसिड हमले के तहत अपराधों के लिए मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
4. *वे विचाराधीन कैदी जो विदेशी नागरिक हैं।*
5. *वे विचाराधीन कैदी जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी अधिनियम)/पीएमएलए के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं, और*
6. *CBI / ED / NIA / दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, SFIO आतंकवाद से संबंधित मामलों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम आदि के तहत मामलों में जांच चल रही है।*

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इन नए मानदंडों के आधार पर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लगभग **50 विचाराधीन कैदी** लाभान्वित होंगे और उनकी रिहाई से जेल की आबादी भी **कम** होगी।

अध्यक्ष ने डीएसएलए के सदस्य सचिव को निर्देश दिया कि वे लचीले मानदंड के भीतर आने वाले विचाराधीन कैदियों के आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं।

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत पर, जेल अधीक्षक को ओर से उसके कस्टडी अवधि के दौरान अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र प्राप्त होने और जेल के डॉक्टर के

द्वारा विचाराधीन कैदी की बीमारी, जिससे वह पीड़ित है,एक प्रमाण पत्र के द्वारा सत्यापित करने के पश्चात ही, विचार किया जाएगा। तभी वह इस उपरोक्त श्रेणी के योग्य हो पाएगा।

समिति के अध्यक्ष ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे जिला न्यायाधीशों से अनुरोध करें कि वे जेल में जाने वाले डयूटी मजिस्ट्रटों के साथ–2 न्यायालय के डयूटी मजिस्ट्रटों को इन आवेदनों को लेने का निर्देश दें और यदि उनका मत हैकि विचाराधीन कैदी उपरोक्त मानदंडों के साथ –2 पहले अपनाए गए मानदंडों के अंतर्गत आता है तो वे जेल अधीक्षक की संतुष्टि होने पर **व्यक्तिगत बांड** पर रिहा हो सकतें हैं, ताकि सरकार की सामाजिक दूरी की नीति का पालन किया जा सके।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, एवं 07.04.2020 की बैठक में अपनाए गए तथा आज यहां अपनाए गए मानदंडोके अंतर्गत विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय, अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही** करेंगा जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं**, वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

<u>रिहा किए गए विचाराधीन कैदियो/दोषियों का उनके घर पर सुरक्षित पारगमन</u>

समिति के अध्यक्ष ने भाग लेने वाले सदस्यों को माननीय सर्चोच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2020 के आदेश में दी गई टिप्पणियों को याद दिलाते हुए कहाः

1. *कोई भी कैदी जो करोना वायरस से संचारी रूप से पीड़ित हो तो उसे छोड़ा नही जाएगा। इस उद्देश्य से उचित टेस्ट करवाए जाएंगे।*
2. *कैदियों को भेजते समय सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा जैसे कि बस की क्षमता से आधे या एक चौथाई से अधिक को परिवहन की आज्ञा नही दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्री कोरोना वायरस से मुक्त पाए जाएगे वे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे।*

    महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि किसी भी कैदी को रिहा करने से पूर्व उसकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी और उसे भेजते समय **सामाजिक दूरी के नियमों** का पूर्णतः पालन किया जाएगा जिसके लिए वह दिल्ली पुलिस के साथ–2 स्थानीय प्रशासनिक सरकार की भी सहायता लेंगे। प्रधान सचिव (गृह) ने भी आश्वासन दिया कि इस संबंध में महानिदेशक (जेल) को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटम नंबर 5:– प्राप्त रिप्रजेंटेशन पर विचार

(ए) दिल्ली पुलिस के द्वारा तालाबंदी के दौरान जांच, समन और गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्तियों से संबंधित मुद्दे

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) समिति के नोटिस में दिनांक 11.04.2020 की रिप्रजेंटेशन लाए जो कि इस समिति के अध्यक्ष को संबोधित की गई थी।जिसमें फरवरी, 2020 को नार्थ ईस्ट क्षेत्र में हुई हिंसा में पुलिस के द्वारा राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान समन, नजरबंद और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित रजिस्टर्ड एफआईआर के सबंधित मुद्दे लिए गए हैं–

समिति के सदस्यों ने इस रिप्रजेंटेशन को और उसके साथ संलग्नको को ध्यानपूर्वक देखा और समिति के सदस्यों की एकमत राय है कि प्रस्तुत रिप्रजेंटेशन में की गई प्रार्थना इस **समिति के दायरे से बाहर है** जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के इसके आदेशानुसार इस समिति का गठन किया गया था। यदि वे पुलिस के द्वारा समन करने या गिरफ्तारी करने से पीड़ित हैं तो रिप्रजेंटेशन के हस्ताक्षरकर्ता उचित न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(बी) **दोषियों के पैरोल से संबंधित मुद्दे जिनकी दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं**

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) आगे समिति के नोटिस में ई–मेल से भेजी गई दिनांक 11.04.2020 की रिप्रजेंटेशन लाए जो कि इस समिति के अध्यक्ष को संबोधित की गई थी।

समिति के सदस्यों ने उक्त रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा जो कि कन्हैया सिंगल, अधिवक्ता के द्वारा भेजी गई थी जो कि उन दोषियों को पैरोल प्रदान करने से संबंधित है जिनकी दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस शीर्षक **"K.M. Nanawati Vs. State of Bombay (now Maharashtra)** reported as **AIR 1961 SC 112,और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की Writ Petition (Crl.) NO.235/2016**, titled **"Vikas Yadav Vs. State"**के निर्णयों को देखने के पश्चात समिति दोषियों को पैरोल प्रदान करने की किसी सिफारिश को प्रस्तावित नही करती जिनकी अपील माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस संबंध में प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है।

समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त रिप्रजेंटेशन लगाने वाले दोनो प्रार्थियों को इस संबंध में यह समस्त जानकारी प्रदान करें।

तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटम नंबर 6: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

दिनांक 07.04.2020 में लिए गए निर्णय के आधार पर समिति के द्वारासदस्य सचिव, डीएसएलएसए को दिए गए निर्देश के अनुसार सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने समिति को आर्ब्जवेशन होम, चिल्ड्रन होम, जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में एकत्रित सूचना के विषय में सूचित किया और रिमांड होम तथा चिल्ड्रन होम में **कोविड –19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंधमें जानकारी प्रदान की।उन्होने आगे सूचित किया कि इन सभी आर्ब्जवेशन होम और चिल्ड्रन होम में उनकी **रखने की क्षमता** से **रहने वालों की संख्या** कम है। उन्होने समिति को आगे सूचित किया कि इन होम के अधीक्षक **कोविड –19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए उनके संबंधित होम में आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने समिति को आगे सूचित किया कि **सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन** और इस होम के रहने वालों के द्वारासार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक का प्रयोग नियमित रूप से जल्दी –2 किया जा रहा है। सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने समिति को सूचित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **"Suo Motu Petition (Civil) No. 4/2020–InRe:ContagionofCOVID-19VIRUSINCHILDRENPROTECTION HOMES"** दिनांक 03.04.2020 और उसके बाद के दिनांक 07.04.2020 के आदेश में दिए गएनिर्देशों का पालन करने के संदर्भ में किशोर न्याय समिति, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पहले ही पर्याप्त निर्देश दे दिए हैं।

सदस्य सचिव, डीएसएलएसए के द्वारा समिति को प्रदान की गई सूचना के आधार पर और दिनांक 03.04.2020 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **"Suo Motu Petition (Civil) No. 4/2020–InRe:ContagionofCOVID-19VIRUSINCHILDRENPROTECTION HOMES"**में अलग से दिए गए निर्देशों और उसके बाद दिनांक 07.04.2020 के आदेश पर विचार करते हुए समिति की राय है कि इस संबंध में समिति के द्वारा **आगे कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नही** है। बैठक के कार्यवृत्त का **पालन सभी संबंधितों के द्वारा** किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल **महानिदेशक (जेल)**	**श्री सत्य गोपाल** **प्रधानसचिव (गृह)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 18.04.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक, डीएसएलएसए